तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर … अहकाम … हुक्म की … में जारी …
14/08/2023	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री ~~किशन~~ ~~छगनाराम सियाग~~ द्वारा वकालातनामा मय ईकबाली जवाबदावा (रामचन्द्र) पेश किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत दावा को स्वीकार किया गया। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी संख्या-1 स्वयं PW-1 - खरथाराम पुत्र श्री तगाराम जाति-जाट निवासी-गंगावास, ग्राम पंचायत-हुडो की ढाणी तहसील-बायतु व स्वतंत्र गवाह PW-2 श्री सुरताराम पुत्र श्री लिछमणाराम जाति-जाट निवासी-गंगावास, हुडो की ढाणी तह-बायतु के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या-1 स्वयं DW-1- तगाराम पुत्र केसाराम जाति-जाट निवासी-गंगावास, हुडो की ढाणी तहसील-बायतु का शपथ-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी व प्रतिवादी वकील की बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी का दावा स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	खरथाराम तगाराम सुरताराम

नम्बर
अहकाम
हुक्म की ता
में जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु

पीठासीन अधिकारी–प्रमोद कुमार (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या–101/2023

वादीगण		**प्रतिवादीगण**
1. खरथाराम पुत्र तगाराम 2. पदमाराम पुत्र तगाराम जाति जाट निवासी गंगावास हूडों की ढाणी तहसील बायतु	**बनाम**	1. तगाराम पुत्र केसराराम जाति जाट निवासी गंगावास हूडों की ढाणी तहसील बायतु 2. भारतीय स्टेट बैंक शाखा कवास जरिये शाखा प्रबन्धक

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

सहायक कलक्टर (SDO) सत्यमेव जयते बायतु

1. रिणछाराम सियाग वकील वादीगण
2. रामचन्द्र वकील प्रतिवादी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः 14.08.2023

वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि मौजा गंगावास, पटवार हल्का कोसरिया, तहसील बायतु के खसरा संख्या क्रमशः 2, 559/529, 560/529, 561/529 रकबा क्रमशः 2.8881, 0.0566, 0.7742, 3.0929 हैक्टेयर कुल रकबा 6.8118 हैक्टेयर की आई हुई है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का सम्पूर्ण हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज केसराराम के वंशज हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता हैं। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट वादीगण के दादा केसराराम के कब्जे काश्त की थी वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रुप से कब्जा काश्त हैं इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि हैं। और वादीगण अपने पैतृक भूमि में सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी हैं। और हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा हैं व हिस्से अनुसार मौके पर बहामी बंटवारा कर मौके पर काबिज हैं। क्योंकि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार हिन्दु पुरुष के पुत्र, पौत्र व पड़पौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायो की अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता हैं। इसलिए वादीगण पैतृक भूमि में प्रतिवादी के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित करवानें का अधिकारी हैं एवं जिस हेतु यह वाद घोषणा का न्यायालय में पेश किया गया हैं। वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला–बाड़मेर

प्रतिवादी स्वंय एवं उनके अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर इकबाली जबाबदावा पेश कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदो को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमती प्रदान की गई वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में वादी साक्ष्य के रुप में वादी संख्या 1 स्वंय खरथाराम पुत्र तगाराम द्वारा शपथ पत्र PW-1, स्वंतत्र गवाह के रुप में सुरताराम पुत्र लिछमणाराम का शपथ पत्र PW-2 पेश किये गये। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य के रुप में स्वंय तगाराम पुत्र केसराराम का शपथ पत्र DW-1 पेंश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से पूर्व वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के कब्जे काश्त की थी। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्व. केसराराम के विधिक वारिशान हैं हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता हैं भूमि वादीगण की पैतृक होने से वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी हैं।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, डिक्री किया जाता है व अन्मिम डिक्री इस आश्य की जारी की जाती हैं कि मौजा गंगावास, पटवार हल्का कोसरिया, तहसील बायतु के खसरा संख्या क्रमंशः 2, 559/529, 560/529, 561/529 रकबा क्रमंशः 2.8881, 0.0566, 0.7742, 3.0929 हैक्टेयर कुल रकबा 6.8118 हैक्टेयर की भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी होकर, पत्रावली फैलस सुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) सत्यमेव जयते बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला–बाड़मेर

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बायतु

निर्णय आज दिनांक 14.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला–बाड़मेर

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बायतु

अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु

पीठासीन अधिकारी –:श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. खरथाराम पुत्र तगाराम 2. पदमाराम पुत्र तगाराम जाति जाट निवासी गंगावास हूडों की ढाणी तहसील बायतु		1.तगाराम पुत्र केसराराम जाति जाट निवासी गंगावास हूडों की ढाणी तहसील बायतु 2. भारतीय स्टेट बैंक शाखा कवास जरिये शाखा प्रबन्धक

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद :– 101/2023 दिनांकः 14.08.2023

वादीगण की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग की उपस्थिति एवं प्रतिवादी वकील श्री रामचन्द्र की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.08.2023 को (नाम पीठासीन अधिकारी) श्री प्रमोद कुमार, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है व डिक्री दी जाती है कि –

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा गंगावास, पटवार हल्का कोसरिया, तहसील बायतु के खसरा संख्या क्रमशः 2, 559/529, 560/529, 561/529 रकबा क्रमशः 2. 8881, 0.0566, 0.7742, 3.0929 हैक्टेयर कुल रकबा 6.8118 हैक्टेयर की भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार बायतु निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह आज तारीख 14.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु सत्यमेव जयते

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	